

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 110 / 2024

निर्णय दिनांक : 22.12.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 240

दायर दिनांक - 19.11.2024

इन्द्रजीत पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम वामणिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी परोकार राज उपस्थित।


—:निर्णय:-


संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम वामणिया का स्थाई निवासी है जिनके रोही बामणिया में खेत खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 296 तादादी 5.0832 व खाता संख्या 20 खसरा नं. 487/44 तादादी 2.9083 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्रचन्द पुत्र बनाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि में इन्द्रजीत पुत्र बनाराम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही बामणिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम इन्द्रजीत पुत्र बनाराम दर्ज है। इन्द्रचन्द


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़


इन्द्रजीत दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्रजीत पुत्र बनाराम किया जाना उचित है।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम इन्द्रजीत पुत्र बनाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमिक्षेत खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 296 तादादी 5.0832 व खाता संख्या 20 खसरा नं. 487/44 तादादी 2.9083 हैक्टेयर वाके रोही बामणिया तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार इन्द्रचन्द पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी बामणिया खातेदार के स्थान पर इन्द्रजीत पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी बामणिया खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़


पैनल अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़


रेवन्सु अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़